भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1225

बुधवार, 9 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

पश्चिम बंगाल के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

1225. डॉ. सुकान्त मजूमदार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सहित देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूची का विस्तार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर जिलों सहित पश्चिम बंगाल में डीपीआईआईटी के माध्यम से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का जिले-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का देश के प्रत्येक जिले में 'एक जिला-एक उत्पाद' योजना शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा देश में औद्योगिक क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए पश्चिम बंगाल के विशेष संदर्भ में अन्य क्या नई पहलें की गई हैं/कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क): राज्य सरकारों ने अपने राज्यों के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान करने का निर्णय किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बांग्लाश्री' स्कीम के तहत विकसित क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों को ए, बी, सी, डी और ई जोन में वर्गीकृत किया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जिले जोन डी में आते हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार की 22 जुलाई, 2020 की राजपत्रित अधिसूचना संख्या 1543/एमएसएमईटी-18011/1/2020 के अनुसार जोन डी में पात्र सूक्ष्म अथवा लघु उद्यम राज्य पूंजी निवेश सहायता, आवधिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी आदि के हकदार होंगे और अन्य ब्यौरे उक्त अधिसूचना के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं – https://wbmsme.gov.in

(ख) से (घ): केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की शुरूआत की है। ओडीओपी को किसी जिले की वास्तविक क्षमता का इस्तेमाल करने, आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करने, रोजगार सृजन करने और ग्रामीण उद्यमिता की दिशा में बढ़ाए गए परिवर्तनकारी कदम के रूप में देखा गया है।

ओडीओपी पहल का प्रचालनगत प्रयोजनों के लिए डीजीएफटी, वाणिज्य विभाग के अंतर्गत 'निर्यात केंद्र के रूप में जिला (डीईएच)' पहल के साथ विलय कर दिया गया है। डीईएच का

उद्देश्य पूरे जिले के ऐसे उत्पादों/सेवाओँ की पहचान करना है (जीआई उत्पादों सहित) जिनमें संभावित निर्यात क्षमता हो। निर्यात संवर्धन को सहायता प्रदान करने तथा इन जिलों में निर्यात वृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सभी 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य निर्यात संवर्धन समिति (एसईपीसी) और जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) का गठन किया गया है।

'निर्यात केंद्र के रूप में जिला' पहल के तहत पहचाने गए उत्पादों की राज्य-वार/जिला-वार सूची का ब्यौरा, जिनमें उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर के उत्पाद शामिल हैं, निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://exporthubs.gov.in/images/pdf/Final%20Product%20List.pdf

*****